

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़  
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 72/2019 वाद

आजम खान

// बनाम //

शोयब खान व अन्य

वाद धारा 188, 209 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 18.02.2020

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वकील वादी वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाना चाहते हैं तथा इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते हैं। वकील वादी का वाद विद्वा बाबत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद विद्वावल के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
निम्बाहेड़ा

